फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती दौलीबाई **विपक्षी : श्री अमरा**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 56/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प घासा में पेश हुई। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित हैं। प्रार्थीयां द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार नाम संशोधन किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीयां द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयां का नाम भमरी पत्नी छगा डांगी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीयां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में भमरी पत्नी छगा दर्ज हैं, जबकि प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम दौलीबाई पत्नी छगा अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार द्वारा भमरी एवं दौलीबाई एक ही महिला होना बताया हैं। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 210, 211, 3765, 3772, 378, 3784, 379, 3793, 391, 392, 397, 398, 6099/653, 62, 653 किता 15 रकबा 4.3140 हैक्टेयर एवं मौजा दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 2604, 2605, 2606, 2639 किता 4 रकबा 1.0117 हेक्टेयर भूमि में खातेदार भमरी पत्नी छगा के बजाय भमरी उर्फ दौलीबाई पत्नी छगा डांगी संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। (मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:10:27 IST
Reason: SelfAttested